न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 107/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 आईदानराम पुत्र बगताराम 2 रूखमों पत्नी चुतराराम 3 हेमाराम पुत्र गोकलाराम जाति जाट निवासी नया भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर।		1 हनुमानराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी नया भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री वीराराम विराट वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 11.02.20

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा नया भूरटिया पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 135 रकबा 0.07, खसरा संख्या 137 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 1008/138 रकबा 228.11 बीघा कुल रकबा 229.02 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1055/145 में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से दर्शाये अनुसार भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा उनके पत्रांक भूअ./2019/2071 दिनांक 04.07.2019 के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थीगण के मौजा नया भूरटिया पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 135 रकबा 0.07, खसरा संख्या 137 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 1008/138 रकबा 228.11 बीघा कुल रकबा 229.02 बीघा भूमि से कटाण मार्ग तक आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि मौजा नया भूरटिया पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1055/145 रकबा 85.01 में से रास्ते हेतु रकबा 0.09 बीघा भूमि बनती है, जो मौके पर खाली है, इसके अतिरिक्त कोई नजदीकी विकल्प नही पाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 मौके पर प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित मार्ग से आने–जाने नही दे रहे है। तहसीलदार बाडमेर ने ग्राम नया भूरटिया पटवार क्षेत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1055/145 रकबा 85.01 में निम्नानुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित की है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म भूमि	प्रस्तावित भूमि ल.X चौ.	बरंग
1	2	3	4	5	6	7
1	हनुमानराम पुत्र मगाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	1055/145	85.01	बा.दो.	90ग. X 2 ग. = 0.09 बीघा	लाल

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तथा मौके पर भूमि खाली है। इसके अतिरिक्त कोई नजदीकी विकल्प नही पाया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण को तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन स्वीकार है तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण को आने–जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है।

प्रकट तथ्यों एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। मौजा नया भूरटिया पटवार क्षैत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 135 रकबा 0.07, खसरा संख्या 137 रकबा 0.04 बीघा व खसरा संख्या 1008 / 138 रकबा 228.11 बीघा कुल रकबा 229.02 बीघा भूमि में से रास्ते हेतु अप्रार्थी की भूमि से कटाण मार्ग तक जाने हेतु मौजा नया भूरटिया पटवार क्षैत्र भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1055 / 145 रकबा 85.01 में से रास्ते हेतु रकबा 0.09 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शायी है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्रार्थीगण राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी हनुमानराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी नया भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 11.02.20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.06.25 13:22:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: